न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 138/2018

दशरथ मिस्त्री -बनाम- हरकलाल महंतो

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
11-2-19	**आदेश** प्रथम पक्ष से प्राप्त आवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा धारा 144 द.प्र.स. के तहत् कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लेते हुए उभय पक्षों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया एवं कारण-पृच्छा की मांग की गई। प्रथम पक्ष के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि मौजा डुमरी, खाता नं. 72, प्लॉट नं. 1162, रकवा 1.83ए. भूमि जो टोला सिमराडीह में अवस्थित है। उक्त भूमि पर उनके द्वारा कृषि कर जिविकोपार्जन किया जा रहा है। उक्त भूमि पर विपक्षी द्वारा फर्जी केवाला बनाकर धान की फसल काटने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उक्त भूमि उन्हें खतियान से प्राप्त है। खतियान लगान रसीद सं. 164641 की छाया-प्रति उपलब्ध कराया गया है। द्वितीय पक्ष से प्राप्त कारण-पृच्छा का अवलोकन किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम पक्ष के पूर्वज चमारी मिस्त्री एवं रूक्मणी देवी, सुधीर मिस्त्री से निबंधित दस्तावेज सं. 20316 दिनांक 25.10.1968 एवं निबंधित दस्तावेज सं. 21498 दिनांक 21. 11.1968 द्वारा बिक्री कर दी गई थी। क्रेता ईश्वर राम एवं सुखदेव राम के वंशज सुखदेव प्रसाद वर्णवाल, गोपाल प्रसाद वर्णवाल, दिनेश प्रसाद वर्णवाल, पिता ईश्वर प्रसाद वर्णवाल, साकिन डुमरी से निबंधित दस्तावेज सं. 1770 दिनांक 24.02.2015 द्वारा क्रय किया गया है जिसका लगान रसीद अद्यतन निर्गत है। प्रथम पक्ष के हिस्सें की भूमि अभी भी परती है। अभिलेख एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया, उभय पक्ष उक्त विवादित जमीन पर अपना-अपना दावा करते है। मामला हक एवं स्वात्व से संबंधित है, जिसका निर्णय इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतएव प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 11/2/19 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी। 11/2/19 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।	

Certified Copy Issued 19/6/19